क्र -	नाम -	पद -	हस्ताक्षर
(5)	मानसिंह	सदस्य	मानसींग
(6)	अकालसिंह	"	अ लाल
(7)	भूपालशाह	"	बीएसलपम
(8)	भारतलाल	"	भारतलाल उइके
~~(9)~~	~~जेरहू~~		
(9)	लुजलाल	"	
(10)	रघुरवराम	कोटवार	रघुरवराम
(11)	श्रीमति अंगेश्वरी	पं. सहा. का. ऑ.	Arishad
(12)	" हेना खोब्रागडे	रोज.सहा.	CHS

प्रदर्श – ''स''

प्रमाण पत्र

मेसर्स कार्यपालन अभियंता सिविल पारेषण संभाग भिलाई 132 के. व्ही उपकेन्द्र की स्थापना कार्य हेतु .राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल के उपवनमंडल चौंकी के अंतर्गत एकटकन्हार गांव के व्यपर्तन हेतु वन भूमि व्यपवर्तन हेतु ......है. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का अधिकारों को स्थापित किया गया हैं तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि ....है एवं/राजस्व वन भूमि खसरा नं. 32/1, रकबा 9.165 हे. मे से 4.046 हे. हैं। जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी हैं तथा ग्राम एकटकन्हार तहसील मोहला में स्थित हैं. में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी हैं।

   ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 21.08.2015 (प्रदर्श–''अ'') एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श–''ब'') पर दर्शित हैं।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव पांडरवानी ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमती भुपेश्वर कुमार भूआर्य की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.08.2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दे दिनांक सहित) एवं इसमें 40 % प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे. जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही हैं।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :–

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.मे.)
1.	एकटकन्हार	कार्यपालन अभियंता सिविल पारेषण संभाग भिलाई	रकबा 4.046 हे.

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 21.08.2015 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति ''अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना हैं।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 21.08.2015 से/ दिनांक 21.08.2015 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

नाम ( )

कलेक्टर

एवं

अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति

जिला राजनांदगाँव

(सील)

दिनांक 21-9-2015

(1)

कार्या. वनमण्डल अधिकारी
आवक क्र. 5315
दिनांक 08.09.15
वनमण्डल राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रमाण पत्र प्रदर्श – "रा"

मेसर्स .... को .... कार्य हेतु .... जिला .... वनमंडल

कार्यपालन अभियंता सिविल चारेका संभाग भिलाई 132 के.व्ही. केन्द्र की स्थापना

के .... गांव के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु .... है. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का पालना प्रतिवेदन ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि – है. एवं / राजस्व वन भूमि 10.00 एकड़ है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम एकटकन्हार तहसील मोहला में स्थित है. मे तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है। ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 21.8.2015 (प्रदर्श – "अ") एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जॉच प्रतिवेदन (प्रदर्श – "ब") पर दर्शित है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव .... ग्राम के सरपंच श्री/श्रीमती एकटकन्हार की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा की बैठक दिनांक 21.8.2015 में रखा गया था (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एव इसमें 40% प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे. जिनको परियोजना के क्रियान्यन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत करा कर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:—

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	एकटकन्हार	कार्य. अभियंता सिविल चारेका संभाग भिलाई	10.00 एकड़

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक .... अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार "अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 21.8.2015 / दिनांक 21.8.2015 के संकल्पों के आधार यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

उक्त प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत होने पर निराकृत किया जावेगा

अनुविभागीय अधिकारी
(रा.) मोहला (छ.ग.)

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल (छ.ग.)

नाम ( )
कलेक्टर
एव
अध्यक्ष – जिला वन अधिकार समिति
जिला ....
(सील)

कार्यालय ग्राम पंचायत - पांडरवानी

कार्या. ग्राम पंचायत पाण्डरवानी
क्र. प्रति 39
दि. ....
वि.खं. मोहला, जिला राजनांदगांव

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कार्यालय त० मोहला
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- 132 के० व्ही० विद्युत उप केन्द्र निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषण विषयक

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत पांडरवानी 132 के० व्ही० विद्युत उप केन्द्र निर्माण हेतु ग्राम पाण्डरवानी खसरा नं० 132/01 रकबा - 22.63 एकड़ के टुकड़े मे 10.00 एकड़ भूमि घास भूमि को आवंटन करने ग्राम सभा एव वन अधिकार समिति पाण्डरवानी द्वारा प्रस्तावित प्रतिलिपि भेजी जा रही है।

अतः प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

स्थान - पांडरवानी
दिनांक - 24.8.2015

सचिव
ग्राम पंचायत पांडरवानी

कार्यालय ग्राम पंचायत पांडरवानी विकासखण्ड मोहला

जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्या. ग्राम पंचायत पाण्डरवानी क्र. .... दि. .... वि.खं. मोहला, जिला राजनांदगांव

–: अनापत्ति प्रमाण पत्र :–

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित द्वारा ग्राम पंचायत पांडरवानी जनपद पं० मोहला के राजस्व वन क्षेत्र में 132 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित करने में हमारे ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

अतः हमारे ग्राम पंचायत के खसरा क्रमांक 32/1 प्रस्तावित रकबा 4.046 हे० 10.00 एकड़ हेक्टे. राजस्व वन क्षेत्र में उपकेन्द्र स्थापना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में सर्वसम्मति से यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सरपंच,
ग्राम पंचायत पांडरवानी.

दिनांक 21.08.2015

सरपंच

वन अधिकार समिति ग्राम एकटकन्हार बैठक की कार्यवाही दिनांक - 21.08.2015
ग्राम पंचायत - पांडरवानी जनपद पं० मोहला जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

बैठक दिनांक	उपस्थित सदस्यों के नाम	विषय	संक्षेप में बैठक की कार्यवाही	प्रस्ताव जो पास किए गए	उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
21.8.2015	① श्री कुमुकलाल मंडावी अध्यक्ष	प्रस्ताव क्रमांक (1) 132 के०वी० का विद्युत केन्द्र निर्माण हेतु वन भूमि उपलब्ध कराने प्राप्त आवेदन पर चर्चा	प्रस्ताव क्र (1) वन अधिकार समिति ग्राम एकटकन्हार उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया कि सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक कार्यपालन यंत्री अतिरिक्त उच्च दाब परियोजना संभाग छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित भिलाई को 132 के०वी० विद्युत उप केन्द्र निर्माण हेतु ग्राम एकटकन्हार में उपलब्ध भूमि छोटे झाड़ का जंगल वाले भूमि खसरा 32/01 रकबा 22.63 एकड़ के टुकड़े में 10.00 एकड़ भूमि हे० 4.046 हे. भूमि को विद्युत उप केन्द्र हेतु अनापत्ति/ एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम अंतर्गत भूमि को आवेदक को प्रदाय करने अनुशंसा किया जाता है समिति और प्रस्तावित भूमि को अनुमोदनार्थ ग्राम सभा में रखा जाये।	यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया गया	सही
	② " सराधूराम - सदस्य				सही
	③ " सांहूराम "				सही
	④ " रामदास - "				सही
	⑤ " हेमसूराम "				सही
	⑥ " कुम्हारसिंह "				सही
	⑦ " कान्हासिंह "				सही
	⑧ " खजनलाल "				सही
	⑨ " शैलेन्द्र कुमार "				सही
	⑩ श्रीमती राजकुंवर - "				सही
	⑪ " रमा बाई - "				सही
	⑫ " सावित्री बाई "				सही
	⑬ " संगीता निर्मला बाई "				सही

Hmandavi
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति एकटकन्हार

सचिव,
ग्राम पंचायत पांडरवानी

सरपंच,
ग्राम पंचायत पांडरवानी.

कार्यालय - ग्राम पंचायत पांडरवानी

जनपद पंचायत मोहला, जिला -राजनांदगांव (छ.ग.)

ग्राम सभा बैठक कार्यवाही की नकल — एकटकन्हार (ग्राम सभा ग्राम पंचायत की बैठक) प्रस्ताव क्र. 02 ग्राम सभा बैठक दिनांक 21.8.201

बैठक क्र. दिनांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पारित हुआ	उपस्थित पंचों के हस्ता.
21.08.2015	सरपंच	प्रस्ताव क्रमांक	प्रस्ताव क्रमांक 02 ग्राम सभा एकटकन्हार	यह प्रस्ताव	सही (01)
	श्री गोवर्धनकुमार मुरकी	(02)	अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में उप०	सर्व सम्मति	
		132 के०व्ही०	सदस्यों द्वारा विचार विमर्श कर सर्व	से पारित	
	उपसरपंच	विद्युत उप केन्द्र	सम्मति से निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़	किया गया	
	श्री जितनारायण नायक	निर्माण हेतु	कार्यपालन अभियंता छत्तीसगढ़ ट्रांसमिशन कंपनी		
	ग्रामसभा	वन भूमि छोटे	द्वारा ग्राम विद्युत ट्रांसमिशन कम्पनी लिमि		
	अध्यक्ष	झाड़ का जंगल	टेड को 132 के०व्ही० विद्युत उपकेन्द्र		
	श्री सांवलराम मंडावी	घास भूमि उपलब्ध	निर्माण हेतु ग्राम एकटकन्हार के उपलब्ध		
	ग्राम सभा के	कराने बाबत	घास भूमि छोटे झाड़ का जंगल भूमि		
	कुल सदस्य सं०	अनापत्ति पर चर्चा	ख० नं० 321/2 रकबा 22.63 हेक्ट		
	321		भूमि के टुकड़े में उपकेन्द्र हेतु 10.00 एकड़		
	ग्राम सभा मे		4.046 हे० भूमि प्रदान करने का अधिकार		
	उप० सदस्य सं०		समिति द्वारा प्रस्तावित हैं को वन अधिकार		
	112		मान्यता कानून प्रस्तावित किया जाता है,		
	321		उक्त भूमि को उप केन्द्र निर्माण से ग्राम		
	112		सभा को कोई आपत्ति नहीं है। उचित	सही (01)	

कार्यवाही हेतु पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि प्रेषित की सत्य प्रतिलिपि

सचिव, ग्राम पंचायत पांडरवानी

सरपंच / सचिव
सरपंच, ग्राम पंचायत, पांडरवानी
ग्राम पंचायत पांडरवानी

जारी दिनांक 22/8/015

कार्यालय ग्राम पंचायत पांडरवानी जनपद मोहला

प्रति,
श्रीमान तहसीलदार साहब
तहसील कार्यालय मोहला

विषय -: ग्राम एकटकन्हार घास भूमि मे पट्टा नही जारी करने की जानकारी प्रेषण विषयक्

महोदयजी, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत पांडरवानी के आश्रित ग्राम एकटकन्हार भूमि खसरा नं० 32/1 रकबा 22.62 एकड़ छोटे झाड़ का जंगल (घास भूमि) मे किसी को पट्टा जारी नहीं किया गया है।

अतः जानकारी सादर प्रेषित है।

स्थान- पांडरवानी
दिनांक- 7.9.2015

सरपंच
ग्राम पंचायत पांडरवानी

सचिव
ग्राम पंचायत पांडरवानी

प्रति

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व
कार्यालय मोहला

विषय :- स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत पाँडरवानी 132 के.वी. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु ग्राम एकटकन्हार में स्थित ख० नं० 128/1 रकबा 22.52 एकड़ के टुकड़े में 10.00 एकड़ भूमि घास भूमि में उपलब्ध होने ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति एकटकन्हार द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसका स्थल निरीक्षण तहसील कार्यालय मोहला के तहसीलदार, पटवारी, वन विभाग की टीम व विद्युत विभाग द्वारा संयुक्त मौका निरीक्षण किया गया।

उचित कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

हल्का पटवारी

११+९०
२९/८/२४

पंचनामा

स्थान - पांडरवानी
दिनांक - 29/12/15

आज दिनांक 29/12/15 दिन शुक्रवार को ग्राम पांडरवानी प.ह.नं. 10 रा.नि. मं. व तह. मोहला जिला राजनांदगांव में स्थित भूमि ख.नं. 1221/1 रकबा 22.63 एकड़ के टुकड़े में 10.00 एकड़ भूमि घास भूमि को उपलब्ध कराने ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति पांडरवानी द्वारा प्रस्तावित किया गया है जिसका स्थल निरीक्षण तहसीलदार, हल्का पटवारी वन विभाग की टीम व विद्युत विभाग द्वारा हम समस्त पंचो के समक्ष संयुक्त निरीक्षण किया गया पंचनामा पढ़ा सुना सही पाया गया।

सरपंच
ग्राम पंचायत पांडरवानी

सचिव
ग्राम पंचायत पांडरवानी

हल्का पटवारी
29/12/15

दुक्कासिंह

मोतीराम

तहसीलदार,
मोहला

Junior Engineer (C)
Civil Sub-Division
C.S.P.T.C.L.

परिक्षेत्र सहायक
पानाबरस परिक्षेत्र

ASS.ENGINIER
CSPDCL MOHLA

वन परिक्षेत्र अधिकारी
(सा.) पानाबरस मोहला

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मोहला
जिला -राजनांदगांव (छ.ग.)

//ज्ञापन//

क्रमांक/1030/अ.वि.अ./प्र-2/2015 मोहला दिनांक 28/08/2015

प्रति,

कलेक्टर,
(भू-अभिलेख शाखा)
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- **132 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि, ग्राम एकटकन्हार तहसील मोहला जिला राजनांदगांव के लिये वन संरक्षण अधिनियम के तहत आनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत्।**

संदर्भ :- **आपका पृ.क. 1278 दिनांक 26/08/2015,**

—00—

उपयुर्क्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। कार्यपालन अभियंता सिविल पारेषण संभाग भिलाई द्वारा ग्राम एकटकन्हार तहसील मोहला जिला राजनांदगांव स्थित ख0नं0 32/1 रकबा 22.63 एकड में से 10.00 एकड भूमि को 132 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि वन संरक्षण अधिनियम के तहत पंजीयन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग की गई है, आवेदित भूमि का उप वन मण्डलाधिकारी अं.चौकी एंव आवेदक विभाग के साथ संयुक्त रुप से स्थिल निरीक्षण किया गया। मौके पर कोई ईमारती व गैर ईमारती वृक्ष नही है, अन्य प्रजाति के छोटे पौधे है, ग्राम पंचायत पाण्डरवानी एंव वन अधिकार समिति से आवेदक विभाग को भूमि हस्तांतरण किये जाने बाबत् राय लिया गया, उनके द्वारा आवेदक विभाग को निम्न दाब के विद्युत समस्या को देखते हुए भूमि आवेदक विभाग को आवेदित भूमि हस्तांतरण किये जाने पर कोई आपत्ति नही है, तथा आवेदक विभाग को दिये जाने का प्रस्ताव पारित किया है। 132 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु आवेदक विभाग को अनुभाग के विद्युत समस्या को देखते हुए भूमि हस्तातंरण किया जा सकता है।

सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
मोहला, जिला-राजनांदगांव(छ.ग)

//प्रमाण पत्र//

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम एकटकन्हार प.ह.नं. 06 रा.नि.मं. व तहसील मोहला जिला राजनांदगाव स्थित भूमि ख0नं0 32/1 रकबा 22.63 का तुकडा 1000 एकड छोटे झाड का जंगल (घांस) भूमि को अनुभाग मोहला में निम्न दबाव के विद्युत प्रवाह से निजात पाने हेतु एंव विकास की संभावना को देखते हुए 132 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु कार्यपालन अभियंता सिविल पारेषण छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित संभाग भिलाई 03 को भूमि हस्तांतरण किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

अनुविभागीय अधिकारी (वन)
मोहला,जिला-राजनांदगांव(छ.ग)

उप वनमण्डलाधिकारी
अं. चौकी

अनुविभीय अधिकारी (राजस्व)
मोहला,जिला-राजनांदगांव(छ.ग)

कार्यालय ग्राम पंचायत - पांडरवानी

कार्या. ग्राम पंचायत पाण्डरवानी
क्र. ......39......
दि. ....
वि.खं. मोहला, जिला राजनांदगांव

प्रति

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कार्यालय त० मोहला
जिला राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- 132 के० व्ही० विद्युत उप केन्द्र निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रेषण विषयक

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत पांडरवानी 132 के० व्ही० विद्युत उप केन्द्र निर्माण हेतु ग्राम सरकन्हार खसरा नं० 132/01 रकबा - 22.63 एकड़ के टुकड़े मे 10.00 एकड़ भूमि घास भूमि को आवंटन करने ग्राम सभा एवं वन अधिकार समिति सरकन्हार द्वारा प्रस्तावित प्रतिलिपि भेजी जा रही है।

अतः प्रतिलिपि उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

स्थान - पांडरवानी
दिनांक - 24.8.2015

सचिव
ग्राम पंचायत पांडरवानी

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मोहला, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

//ज्ञापन//

क्रमांक / 997 /अ.वि.अ./2015 मोहला दिनांक 19/08/2015

प्रति,

सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत एकटकन्हार

द्वारा :– **मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मोहला**

विषय :– **वन अधिकार पत्र के संबंध में।**

———0———

उपर्युक्त विषयान्तर्गत ग्राम एकटकन्हार तहसील मोहला में 132 के.व्ही. उप केन्द्र का निर्माण हेतु भूमि ख0नं0 32/1 रकबा 22.63 एकड में से 1.50 हेक्टेयर छोटे झाड का जंगल (घास) की भूमि छ.ग.राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी को गैर वानकी परियोजन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 एंव नियम 2007 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पर हस्तांतरण किया जाना है। अतएंव प्राथमिकता के आधार पर दिनांक ~~19 अथवा~~ 20/08/2015 को होने वाली ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर प्रतिलिपि इस कार्यालय को उपलब्ध करावें, साथ ही वन अधिकार समिति में भी इस संबंध में चर्चा कर प्रस्ताव पारित करावें, एंव प्रतिलिपि इस कार्यालय उपलब्ध करावें ताकि हस्तांतरण की कार्यवाही हेतु कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देंवे।

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
मोहला जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)

पृ0क्रमांक / 997 /अ.वि.अ./2015 मोहला दिनांक 19/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. कार्य पालन अभियंता सिविल पारेषण संभाग छ.रा.वि.पारे. कम्पनी मर्या. भिलाई 03 को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

19/8/015

O/C

अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
मोहला जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपकम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की एक उत्तरवर्ती कम्पनी)
कार्यालय कार्यपालन अभियंता (सिविल), सिविल पारेषण संभाग भिलाई–3,
फोन नं. 0788–2284582

क्र.का.य.सि. / सिविल–पारे. / मानचित्र / 1464 भिलाई – 3 दिनांक – 25.06.15

प्रति,

कलेक्टर महोदय
छत्तीसगढ़ राज्य शासन
राजनांदगांव ।

विषय :– **132 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि, ग्राम एकटकन्हार तहसील मोहला जिला–राजनांदगांव के लिये वन संरक्षण अधिनियम के तहत आनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत् ।**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रं. का.यं.सि / सिविल–पारे. / 1152 दिनांक 23.05.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम एकटकन्हार तहसील मोहला जिला राजनांदगांव में स्थित राजस्व भूमि मद छोटे झाड़ का जंगल (घास) भूमि खसरा नं. 32 / 01 रकबा 22.63 एकड़ में से 150x100 मी. (डेढ़ हेक्टेयर) भूमि को छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या. के अधीनस्थ सिविल पारेषण संभाग भिलाई को 132 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि आबंटन के सम्बंध में तहसीलदार मोहला ने सम्बंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने विषयक ज्ञापन दिया है। तत्सम्बंध में वनमण्डलाधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नही करते हुये यह सुझाव दिया है कि चूंकि प्रस्तावित भूमि छोटे झाड़ का जंगल (घास) भूमि है वन संरक्षण अधिनियम 1980 की श्रेणी में आता है इसके लिये वन प्रस्ताव बनाना आवश्यक होगा। प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु कार्यालय सहायक प्रधान मुख्य वन संरक्षक से सम्पर्क किया गया, उन्होने अवगत कराया कि वन संरक्षण अधिनियम की स्वीकृति एवं आनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु कलेक्टर छत्तीसगढ़ राज्य शासन राजनांदगांव से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्कता होगी। सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार मोहला का अनापत्ति ज्ञापन संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि आवश्यक अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने की कृपा करें।

सधन्यवाद

संलग्न :– उपरोक्तानुसार 07 सहपत्र।

भवदीय

कार्यपालन अभियंता (सिविल)
सिविल पारेषण संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या.भिलाई –3

R-1

17/8/17

Land Record
26/06/15

क्र.का.य.सि. / सिविल–पारे. / मानचित्र / भिलाई – 3 दिनांक –

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य अभियंता (सिविल.–पारे.) छ.रा.वि.पारे.कं मर्या. रायपुर को सूचनार्थ ।
2. अधीक्षण अभियंता (सिविल.–पारे.) वृत्त छ.रा.वि.पारे.कं मर्या. रायपुर को सूचनार्थ ।

क्र. / 1278 / दिनांक 26/06/15

अनु० SDO मोहला

सही

कार्यपालन अभियंता (सिविल)
सिविल पारेषण संभाग
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या.भिलाई –3

26/6/15
डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते, कलेक्टर, राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख शाखा) राजनांदगांव

''ज्ञापन''

क्रमांक /2212/भू.अ. / रा.नि. / 2015 राजनांदगांव,दिनांक – 23/09/15

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
सिविल पारेषण संभाग भिलाई

विषयः– **मोहला में प्रस्तावित 132 के. व्ही. उपकेन्द्र के निर्माण हेतु राजस्व भूमि की आवश्यकता बाबत्।**

संदर्भ :– **आपका पत्र क्रमांक का. य. सि. / सिविल–पारे. / मानचि / 2226 / भिलाई –3 दिनांक 16.09.2015**

——— 0 ———

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के अनुसार जिला राजनांदगांव के उप वन मंडल चौकी के ग्राम एकट कन्हार के राजस्व भूमि रकबा नं.32 / 1 रकबा (10.00एकड़) 4.046 हेक्टेयर राजस्व भूमि को 132 / 33 के व्ही उपकेन्द्र की स्थापना एवं व्यपवर्तन हेतु प्रदर्श ''स'' में प्रमाण पत्र संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित ।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

23/9/15

डिप्टी कलेक्टर,
वास्ते कलेक्टर, राजनांदगांव